LOK SABHA

Monday, August, 9, 1982/Sravana 18, 1904 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

अध्यक्ष महोदय : आज तो आपने अकेले मोर्चा सम्हाल रखा है।

SHRI BHIKU RAM JAIN: Some Members have been arrested near the Parliament House.

(*Interruptions*)

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: There is no opposition here.

(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Shri Amal Datta. Qn. No. 409.

SHRI NARYAN CHOUBEY: Can I put the question on his behalf ?

MR. SPEAKER: You can. Later on. We will see if you have got the authorisation.

NAFED's Contract for Onion Export and waiving off damage on groundnut contract

+

*410. SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE:

SHRI SURAJ BHAN:

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a private party earned more than Rs. 4 crores from a NAFED contract of 50,000 tonnes of onions exported to Malayasia and further more, that Rs. 31.02 lakhs of recoverable damages due to groundnut contract from a foreign party were waived off ;

(b) if so, the particulars of both the beneficiaries ; and

(c) circumstances of the actions mentioned above ?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT AND CIVIL SUPPLIES (RAO BIRENDRA SINGH): (a) The profit earned by a private party from a NAFED contract for export of 50,000 tonnes of onion to Malaysia, are not known. NAFED has indicated that no damages were recoverable from the foreign buyers in the contract for export of groundnut which was later cancelled.

(b) The name of the party in the onion export contract during 1981-82 was M/s. Kim Guan Choong of Penang, Malaysia. The names of the two U.K. firms in the cancelled groundnut export contract (1980-81) are (i) M/s. Biddle Sawyer & Co. Ltd., of U.K. and (ii) M/s. Lewis & Peats (Merchanting) Ltd., U.K.

(c) NAFED had entered into these contracts in pursuance of the objective of promoting international trade and commerce in agricultural commodities. Groundnut export contract was later cancelled by NAFED in the normal course of business.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मुझे आश्चर्य है कि कृषि मन्त्री महोदय को यह पता नहीं कि प्याज एकाधिकार के आधार पर बाहर भेजने में कितना मुनाफा हुआ । 35 हजार टन

प्याज मलेशिया भेजा गया था, 1500 रुपए प्रति टन की कीमत के हिसाब से भेजा गया था, भेजने वाली एक कम्पनी थी तमिलनाडू की, मलेशिया की मंगाने वाली भी एक कम्पनी थी, चार करोड़ से लेकर पांच करोड़ तक के बीच में मुनाफा हुआ है। यह लाभ छोटे किसानों को नहीं हुआ है क्योंकि प्याज खरीदने वाली एक कम्पनी थी और किसान कहीं और बेच नहीं सकते थे इसलिए उस कम्पनी ने मनमानी कीमत पर प्याज खरीदा। मलेशिया में भी उपभोक्ताओं को प्याज की ज्यादा कीमत देनी पड़ी क्योंकि इम्पोर्ट करने वाली एक कम्पनी थी। कृषि मन्त्री जी ने स्वयं उस दिन राज्य सभा में कहा था :

'Just as monopoly in export trade within this country does not help farmers to get good prices for their agricultural produce, because there will be less competition and only one person will gain from it, it may also have adverse effect on consumers in the improrting country'.

राव बीरेन्द्र सिंह : कुछ गलत कह दिया मैंने क्या ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं तो अपनी पुष्टि में आपको उद्धृत कर रहा हूँ। मेरी शिकायत यह है कि क्या नाफेड को सरकार कोई निर्देश देने की स्थिति में नहीं है ? अगर सरकार की नीति यह है और सदन द्वारा पुष्ट नीति यह है कि मोनोपोली को प्रोत्साहन नहीं दिया जायेगा तो क्या नाफेड उस नीति से बंधी हुई नहीं है, क्या उसे मनमानी करने की छूट है ? सरकार इस मामले में अपनी जिम्मेदारी से क्यों कतरा रही है—यह मैं जानना चाहता हूं।

राव बीरेन्द्र सिंह : सरकार जितनी जिम्मेदारी ले सकती है, उस के मुताबिक सरकार काम करती है, लेकिन, स्पीकर साहब, आप इस बात को मानेंगे कि इस तरह की कोआपरेटिव आर्गेनिजेशन्ज या किसी कारपोरेट बाडी के जो बिजनेस ट्रांन्जेकशन्ज हैं उन में सरकार डायरैक्टली किसी चीज में नहीं आ सकती है। यह कोआपरेटिव सोसायटी नेशनल लेवल की सोसायटी है जो अपना रोजमर्रा का काम खुद करती है। इसका अपना बोर्ड आफ डायरेक्टर्स है, जिस में गवर्नमेन्ट के कुछ रिप्रेजेन्टेटिव्ज हैं और वे बोर्ड आफ डायरेक्टर्स में बैठ कर सरकार की तरफ से जितना नीतियों के अन्दर दखलअन्दाज हो सकते हैं उतना करते हैं।

स्पीकर साहब, मैं आप से एक गुजारिश करूंगा--इस तरह के सवालात जिन का सरकार से डायरैक्टली कोई ताल्लुक नहीं है, जैसे कोई नैशनल लेवल की कोआपरेटिव सोसायटी हो—सरकार की कोई कारपोरेशन हो या सरकार की बनाई हुई कोई कम्पनी हो, वह दूसरी बात है—लेकिन जो कोआपरेटिव आर्गेनिजेशन सारे मुल्क की हो, जिस में इलैक्टेड रिप्रेजेन्टेटिव्ज हों और जिस की हजारों कोआपरेटिव सोसायटियां मेम्बर हों, जो खुद अपने अधिकारी चुनती हो, उन के बारे में सरकार की नीति है कि वह कम से कम दखलअन्दाज हो ...

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : कम से कम

राव बीरेन्द्र सिंह : जी हां, उन के अन्दर सरकार का कम से कम दखल हो। इस लिहाज से अगर हम देखें तो इस तरह के सवाल का जवाब देना और उन के हिसाब-किताब को रोजमर्रा देखना—यह सरकार के लिये मुमकिन नहीं है।

वाजपेयी साहब ने मालूम करना चाहा है कि कितना फायदा किस को हुआ और कितना नुकसान किस को हुआ—सरकार के पास इस का ब्योरा नहीं होता। सरकार को उन के हिसाब-किताब का पता नहीं लगता। हां, नीतियों के बारे में जितना हम से हो सकता है, करते हैं। मैंने पहले भी बयान दिया है और आज फिर अर्ज करूंगा—हम ने नाफेड को कहा है कि वह जब एक्स्पोर्ट करें तो किसी एक आदमी को मोनोपोली न दें और अगर किसी तरह से कोई मोनोपोली देने की बात एक्सपोर्ट के लिये हो तो सरकार से इजाजत ले लिया करें, पूछ लिया करें,। इस साल इस तरह का जो कान्ट्रेक्ट उन्होंने किया था, उस को कैन्सिल करने के लिये सरकार ने नाफेड से कहा और वह कैंसिल भी कर दिया गया। यह सन् 1981-82 का कान्ट्रैक्ट था। उस के खिलाफ बहुत से लोग कोर्ट में भी गये, हाई-कोर्ट में भी गये और सुप्रीम कोर्ट में भी गये और हाईकोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसले दिये वे आप को पढ़ कर सुना देता हूँ, अगर आप इस बात में विश्वास रखते हैं कि कोर्ट आखिर जो जजमेंट देते हैं वे ठीक तरह से देते हैं ...

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: अध्यक्ष महोदय, कोर्ट के सामने भ्रष्टाचार का मामला नहीं था। नाफेड एक कम्पनी को दे सकता है या नहीं दे सकता है, उस का कोई औचित्य है या नहीं है ...

राव बीरेन्द्र सिंह: उसी के खिलाफ दूसरे लोग कोर्ट में गये, महाराज।

अध्यक्ष महोदय: ये महाराज कब से हो गये?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: महाराज शब्द खत्म हो गया, शायद ये मुझे पानी-वाला महाराज समझ रहे हैं।

राव बीरेन्द्र सिंह: पंडित जी महाराज हैं, बात प्याज की कर रहे हैं। प्याज और लहसुन से तो वैसे ही बदबू आनी चाहिये।

मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है—

"That the contract was in the overall interest of the country earning maximum foreign exchange. While delivering the judgment, their Lordships had observed : "We are satisfied that entering into a bulk contract for 50,000 metric tonnes with a single buyer, whose credibility is not questioned, is a commercially prudent contract and is in the interest of the country."

यह मद्रास हाईकोर्ट का जजमेन्ट है।

Then they went to Supreme Court and the Supreme Court also upheld that judgement.

अब आप बतलाइये—सरकार इस में क्या करे? सरकार जितना कर सकती थी और जितना किया है, वह मैंने बतला दिया है। इस साल उन्होंने को कान्ट्रैक्ट किया था, वह हम ने कैन्सिल करा दिया है, जो इसी तरह से उन्होंने एक आदमी से किया था। अब रह गई बात कीमत की। वाजपेयी जी ने फरमाया—मैंने राज्य सभा में एक उसूल की बात कही थी—अगर एक आदमी के पास एक्सपोर्ट की मोनोपोली होगी तो वह शायद ग्रोअर्स को ज्यादा पैसा नहीं देगा, क्योंकि मार्केट को कन्ट्रोल कर सकता है। इसी तरह से जिस कन्ट्री के अन्दर एक आदमी की मोनोपोली रहेगी—इम्पोर्ट की, तो वह भी अपनी मनमानी कीमत तय कर सकता है। इस पर जब दूसरे मुल्क ने

ऐतराज किया तो उसके बेसिज पर हम ने यह स्टेण्ड लिया कि ऐसा नहीं होना चाहिये लेकिन अगर दूसरे तरीके से देखा जाय तो एक आदमी अगर ज्यादा मुनाफा कमा सकता है, मोनोपोली की वजह से, तो यह भी मुमकिन है कि वह ग्रोअर्स को ज्यादा पैसा भी दे सकता है, क्योंकि कीमत देने की क्षमता इस बात पर निर्भर है कि उसको कितना मुनाफा होता है।

इस लिहाज से नाफेड को प्याज की जो कीमत मिली– अब मैं वह आपको बतलाता हूँ —

1980-81 में पर-यूनिट पर-टन वैल्यू एक्सपोर्ट की 1609 रुपये रही, जबकि 1981-82 में वह 1802 रुपये हो गई। अब अगर मैं सिर्फ मलेशिया के बारे में ही बतलाऊं तो आप को और ज्यादा यकान हो जायगा—सन् 1980-81 के अन्दर एक्सपोर्ट वैल्यू पर-टन 1472 रुपये थी, लेकिन 1981-82 में मलेशिया को मोनोपोली एक्सपोर्ट होने की वजह से जो कीमत मिली वह 2376 रुपये थी, जब कि अगर दूसरे मुल्कों के एक्सपोर्ट को शामिल किया जाय तो यह एवरेज 1802 रुपये आती है। इस लिये जो दूसरी बात मैंने अर्ज की है वह इस बात से सिद्ध हो जाती है कि मोनोपोली की वजह से ग्रोअर्स को ज्यादा कीमत भी मिल सकती है।

श्री मनीराम बागड़ी : लेकिन यह ठीक नहीं है, मोनोपोली को तोड़ो।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : इससे पहले कि मैं मंत्री महोदय से दूसरा सवाल पूछूं, मैं मंत्री महोदय की इस बात से सहमत हूं कि सहकारिता के क्षेत्र में कम से कम हस्तक्षेप होना चाहिये। मगर यह मामला तो कम से कम हस्तक्षेप के अन्दर आता है....

राव बीरेन्द्र सिंह : कम से कम या ज्यादा से ज्यादा ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : सहकारिता का अर्थ यह नहीं है कि भ्रष्टाचार में भी सहकारिता चले। नाफेड के खिलाफ गम्भीर आरोप लगाये गये हैं। बोर्ड आफ डायरेक्टर्स ने एक कमेटी बनाई थी, जब पता लगा कि सही रिपोर्ट आयेगी तो वह कमेटी बन्द कर दी गई। केन्द्रीय सरकार की हालत यह है कि 11 जनवरी से लेकर अभी तक नाफेड को कई रिमाइण्डर्स भेजे गये—पहला 11 जनवरी को, दूसरा 17 जनवरी को, तीसरा 3 मार्च को, फिर 23 अप्रैल को, उस के बाद 18 मई को भेजा गया। मन्त्री महोदय ने दूसरे सदन में कहा था कि—जो महीना खत्म हो गया, उसके अन्त तक जवाब आ जायगा, मैं जानना चाहता हूँ—क्या कोई जवाब आया ?

अब मैं मुख्य प्रश्न पर आता हूं—मन्त्री महोदय ने कहा है कि लन्दन की जिन कम्पनियों के साथ ग्राउण्ड-नट भेजने का समझौता हुआ था वे कम्पनियां बाद में मुकर गईं। मन्त्री महोदय ने यह भी कहा है कि कोई घाटा नहीं हुआ है, इसलिये उनसे डेमेजेज मांगने का सवाल पैदा नहीं होता था। मेरे पास नाफेड के लीगल एडवाइजर की रिपोर्ट का एक हिस्सा है, मैं उसे पढ़ कर सुनाना चाहता हूँ—

> "However, we can claim damages for losses on account of godown rent, interest amount, damage of quality on account of storage, administrative expenses etc."

यह कुल मिला कर 31 लाख के करीब होता है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता

हूँ—जब सरकार के अफसर बोर्ड आफ डायरेक्टर्स में हैं तो मंत्री महोदय यह कैसे कह सकते हैं कि उन्हें नाफेड के हिसाब-किताब की कोई जानकारी नहीं है। वे सरकारी अधिकारियों से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस मामले में हमें डेमैजेज क्लेम करने चाहिए थे, लेकिन हम ने नहीं किये। क्या लीगल-एडवाइजर की यह रिपोर्ट गलत है? क्या यह सच नहीं है कि चैयरमैन ने लीगल-एडवाइजर को बुला कर एक और रिपोर्ट लिखवा दी। वहां जिस तरह की घांधली चल रही है, कानून के अन्तर्गत सरकार नाफेड की जांच करा सकती है और वह जांच कराने का वक्त अब आ गया है। क्या मंत्री महोदय इस के बारे में विचार करेंगे?

राव बीरेन्द्र सिंह: जो मेरे पास लीगल एडवाइजर की रिपोर्ट का ब्योरा है, वह तो इस तरह है:

"According to the legal opinion obtained by NAFED, NAFED was not entitled to recover damages from foreign buyers as they had sold the same stocks to another buyer at a higher price. In view of this, the NAFED has cancelled contract on 19-2-82 without claiming any compensation from the buyers."

और इस सिलसिले में मैं यही अर्ज करूंगा कि खरीद-फरोख्त का सौदा अगर अपने आप कोआपरेटिव आर्गेनाइजेशन करता है, तो सरकार रोजमर्रा के उस के कामों के अन्दर फंस नहीं सकती और किसी अधिकारी ने किसी के साथ दफ्तर में या अपने घर पर क्या बात की, इस को नहीं देख सकती है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: यह तो फाइल पर लिखा हुआ है। यह फाइल की कापी है। यह उसकी फोटोस्टेट कापी है।

PROF. MADHU DANDAVATE: Is it a missing file?

राव बीरेन्द्र सिंह: इस बात की मुझे जानकारी नहीं है और वाजपेयी जी जो आप के पास है, मैं नहीं कह सकता कि वह सही है या गलत है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: आप इस मामले को एक पार्लियामैन्टरी कमेटी को सौंप दीजिए।

अध्यक्ष महोदय: ऐसा नहीं होता, यह आटोनामस बोडी है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: लीगल एडवाइस अलग-अलग हैं। इसी के बारे में मतभेद है। वहां दो जांच कमेटियां बनाई गईं और दो तरह की लीगल एडवाइस हैं, दोनों फाइल पर मौजूद हैं। एक को मैं उद्धृत कर रहा हूं और दूसरी को मंत्री महोदय उद्धृत कर रहे हैं। क्या यह जांच का मामला नहीं है।

राव बीरेन्द्र सिंह: पार्लियामेंट जैसी आगस्ट आर्गेनाइजेशन क्या कोआपरेटिव सोसायटीज की हालत देखने लग जाएगी?

(*Interruptions*)

SHRI K. LAKKAPPA: Sir, you allow the Members on the other side a long lecture when our side is not given that much time in the Question Hour. How is it relevant?

SHRI SATYASADHAN CHAKRABORTY: If you want to enjoy that privilege, come and join us.

(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Order Please.

राव बीरेन्द्र सिंह: श्री वाजपेयी जी ने जो इस बारे में कहा है, तो मैं यह बता दूं कि हमने बार-बार नेफेड को लिखा कि इन चीजों की जांच होनी चाहिए। जो इल्जामात

की शक्ल में सरकार को दी गई थी। वे नेफेड को भेज दी गई थीं। पहले एक कमेटी जांच के लिए बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स ने खुद कायम की लेकिन वह कमेटी अपनी रिपोर्ट पूरी नहीं कर सकी, जैसा वाजपेयी जी जानते हैं। उसके बाद फिर हमने लिखा कि इसकी जांच पूरी होनी चाहिए। फिर दूसरी कमेटी बनी, पटेल कमेटी, मि० पटेल की अध्यक्षता में। उस कमेटी को भी हमने बार-बार कहा कि जल्दी जांच की रिपोर्ट हमारे पास भेजी जाए कि बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स ने क्या निर्णय लिया है। तो अभी तक मुझे सिर्फ इतना ही मालूम है कि बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स ने कुछ निर्णय ले लिया है लेकिन सरकार के पास अभी तक उसकी रिपोर्ट नहीं आई है।

MR. SPEAKER: Shri Suraj Bhan. Absent. Twenty minutes have passed on this. Now Question No. 411—Shri S.M. Krishna.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: Sir, why don't you allow a discussion on this question because there are many others who would like to ask questions ?

राव बीरेन्द्र सिंह : यह क्वेश्चन तो हो चुका है, अब कितना इस पर और होगा।

MR. SPEAKER: This is an autonomous body. I can't. We shall see.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: No, Sir. It has its ramifications....

(Interruptions)

MR. SPEAKER: Question No. 412—Shri Krishna Chandra Pandey.

पूर्वी उत्तर प्रदेश में खांडसारी मिलों की स्थापना करने पर रोक

***412. श्री कृष्ण चन्द्र पांडे :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में खांडसारी मिलों की स्थापना करने पर रोक लगा दी है जिसके फलस्वरूप उत्तर प्रदेश सरकार पूर्वी उत्तर प्रदेश में खांडसारी मिलों के लिए लाइसेंस जारी नहीं कर रही है ;

(ख) क्या यह सच है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में खांडसारी मिलों के अभाव में पुरानी पड़ गई वर्तमान चीनी मिलों द्वारा गन्ने की पिराई पूरी तरह नहीं हो रही है और इसके परिणामस्वरूप गन्ना खेतों में ही खड़ा रह जाता है ;

(ग) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश सरकार को पूर्वी उत्तर प्रदेश में खांडसारी मिलों की स्थापना के लिए निदेश देने का है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT AND CIVIL SUPPLIES (RAO BIRENDRA SINGH): (a) The Central Government have not imposed any ban on the setting up of khandsari mills in Eastern Uttar Pradesh. Only guidelines are issued to the State Governments in the matter of regulating the licensing and functioning of khandsari units. In pursuance of these guidelines and taking into account the local circumstances, the Government of Uttar Pradesh have not licensed any new khandsari units in the reserved areas of the sugar factories.

(b) The sugar mills in Eastern Uttar Pradesh have crushed, upto 7-7-1982, 57.24 lakh tonnes of sugarcane. The quantity of the bonded cane in the area was 56.35 lakh tonnes. During the last sugar year the sugarcane crushed by the mills was only 28.77 lakh tonnes.

(c) and (d). Do not arise in view of the answers given to parts (a) and (b).